



न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़(राज.)

पीठीसीन अधिकारी :-

प्रकाश चन्द्र शर्मा (I.A.S.)

प्रकरण संख्या
01 / 2021
RCMS No. 2021/36

दर्ज दिनांक
15.11.2021

फैसल दिनांक
28.02.2022

प्रार्थी
प्राधिकृत अधिकारी स्टेट बैंक आफ
ईण्डिया, तृतीय मंजिल, मेट्रिक्स मॉल,
सेक्टर-4 जवाहर नगर, जयपुर राजस्थान।

बनाम

अप्रार्थी
मैसर्स विजय कन्सट्रक्शन जरिये प्रो. श्री
देवेन्द्र कुमावत पुत्र श्री हीरालाल
कुमावत, पीपली चौक, सालमपुरा रोड,
प्रतापगढ़।

—ऋणी / बंधककर्ता
श्रीमती सन्ध्या पत्नी श्री देवेन्द्र कुमावत,
मानदास मंदिर के सामने, पिपली
चौक, सालमपुरा रोड, प्रतापगढ़।

—जमानतदार
श्री राजीव माथुर पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण
माथुर, बाबु गली, गोपालगंज, वार्ड नं. 8
प्रतापगढ़ —जमानतदार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित
प्रर्वतन अधिनियम, 2002 के तहत

उपस्थिति :-


1. श्री प्राधिकृत अधिकारी स्टेट बैंक ऑफ ईण्डिया

दिनांक :- 28.02.2022

—: आदेश :-

प्रार्थी कि ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम, 2002 के तहत विरुद्ध अप्रार्थी मैसर्स विजय कन्सट्रक्शन जरिये प्रो. श्री देवेन्द्र कुमावत पुत्र श्री हीरालाल कुमावत, पीपली चौक, सालमपुरा रोड, प्रतापगढ़ के विरुद्ध पेश हुआ।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक (वित्तीय संस्था) द्वारा अप्रार्थी को राशि रूपये 19,00,000/-रु. (अक्षरे उन्नीस लाख रूपये) दिनांक 08.11.2014 को केश क्रेडिट एवं टर्म ऋण सूविधा पर उपलब्ध कराई गई तथा पुर्नभुगतान हेतु अप्रार्थी द्वारा अपने स्वामित्व की जायदाद/सम्पत्ति अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक (वित्तीय संस्था) के पक्ष में प्रतिभूति स्वरूप बंधक/रहन निम्नांकितानुसार प्रतिभूतियां प्रार्थी बैंक के ऋण राशि धरोहर स्वरूप बंधक/रहन किया गया। बंधक संपत्ति का विवरण निम्न प्रकार है :-


जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

अनुसूची -I

श्री देवेन्द्र कुमावत पुत्र श्री हिरालाल कुमावत एवं श्रीमती संध्या कुमावत पत्नी श्री देवेन्द्र कुमावत के नाम साम्यिक बंधक आवासीय मकान जो मानदास मंदिर के सामने पिपली चौक सालमपुरा रोड प्रतापगढ़ पर स्थित है जिसका क्षेत्रफल 1077.75 वर्गफीट है नगरपरिषद प्रतापगढ़ राजस्थान द्वारा जारी पट्टा संख्या 111 दिनांक 07.01.2013 जिसकी सीमाएं उत्तर में गली, दक्षिण में रोड़, पूर्व में अम्बालाल कुमावत का मकान तथा पश्चिम में बद्रीलाल शर्मा का मकान स्थित है।

अप्रार्थी द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक (वित्तीय संस्था) को ऋण राशि मय ब्याज का भूगतान करने में असफल रहने व्यतिक्रम करने पर प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त ऋण राशि 31,12,577.71/-रु. (अक्षरे ईकतीस लाख बारह हजार पांच सो सितहतर रूपये 29.05.2020 तक) व अन्य खर्च अदा करने हेतु वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम, 2002 कि धारा 13(2) के तहत दिनांक 30.05.2020 को सूचना पत्र जारी किया गया किन्तु अप्रार्थी के बाद सूचना पत्र तामिल रिपोर्ट एवं नोटीस मियाद अवधि 60 दिवस समाप्त हो जाने पश्चात् भी अप्रार्थी द्वारा उक्त ऋण राशि मय ब्याज राशि प्रार्थी बैंक (वित्तीय संस्था) को नहीं जमा कराये जाने की स्थिति में अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक की गई सम्पत्तियों का कब्जा प्राप्त करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थी बैंक (वित्तीय संस्था) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अनुपालना में दिवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 5 के तहत अप्रार्थी को अपना पक्ष रखने हेतु सूचना पत्र जारी किये गये जाकर एक प्राथमिक अवसर प्रदान कराया गया जबकि प्रकरण में प्रस्तावित अधिनियम के अन्तर्गत धारा 13(2) के नोटीस के उपरान्त पृथक से कोई सूचना पत्र ज्ञापित करने का प्रावधान विहित नहीं होना प्रार्थी संस्था के प्राधिकृत द्वारा अवगत कराया है।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक (वित्तीय संस्था) कि ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा बहस अन्तिम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कि गई दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किये कि अप्रार्थी ऋणी द्वारा ली गई ऋण राशि मय ब्याज के निश्चित समयावधि दिनांक 29.05.2020 तक प्रार्थी बैंक (वित्तीय संस्था) को अदा नहीं किया गया है तथा आगे अदा करने की मंशा भी दर्शित नहीं होती है।

जिसके चलते प्रार्थी बैंक (वित्तीय संस्था) द्वारा दिनांक 29.05.2020 को अधिनियम की धारा 13(2) के तहत अप्रार्थी को सूचित कराते हुए 60 दिवस का अन्तिम अवसर भी प्रदान कराया जा चुका है, किन्तु अप्रार्थी द्वारा आदिनांक तक उसके द्वारा प्राप्त ऋण राशि मय ब्याज के नहीं लौटाये जाने से अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैंक (वित्तीय संस्था) के पक्ष में बंधक/रहन की गई सम्पत्तियों/आस्तियों को अपने कब्जे में लेने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसे स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी द्वारा बंधक/रहन की गई सम्पत्तियों का कब्जा मय पुलिस इमदाद सहित प्रार्थी बैंक (वित्तीय संस्था) को प्रदान करने का आदेश फरमावे।

बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी बैंक (वित्तीय संस्था) द्वारा अप्रार्थी को राशि रूपये 19,00,000/-रु. (अक्षरे उन्नीस लाख रूपये) केश क्रेडिट एवं टर्म लोन सुविधा प्रदान की गई है तथा अप्रार्थी द्वारा बतौर प्रतिभूति अपनी सम्पत्तियों/आस्तियों को बंधक/रहन रखा गया है। प्रार्थी बैंक (वित्तीय संस्था) बकाया ऋण राशि मय ब्याज प्राप्त करने हेतु अप्रार्थी को अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नोटीस दिया जाकर समुचित अवसर प्रदान कराया जाना भी रिकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य है।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन कि रोशनी में ज्ञात होता है कि वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम, 2002 की धारा 14 में विहित प्रावधानों अनुसार प्रार्थी बैंक (वित्तीय संस्था) के पक्ष में अप्रार्थी द्वारा बंधक/रहन की गई सम्पत्तियों का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। इस संबंध में उपशासन सचिव, गृह (सुरक्षा) विभाग गृह गुप-5 के पत्र क्रमांक प.17(2) गृह-5/2012 जयपुर दिनांक 18.10.2012 एवं संयुक्त सचिव, भारत सरकार वित्त मंत्रालय के पत्रांक दिनांक 31.07.2012 के द्वारा जारी दिशा निर्देश पत्रों अन्तर्गत भी ऐसे प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही करते हुए जिला मजिस्ट्रेट को ऋणी से कब्जा प्रदायगी के आदेश पारित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी बताते हुए निर्णय करने की शक्तियां प्रदान की गई है।




जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बैंक (वित्तीय संस्था) का स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी ऋणी द्वारा राशि रूपये 31,12,577.71/-रु. (अक्षरे ईकतीस लाख बारह हजार पांच सो सितहतर रूपये 29.05.2020 तक) एवं अन्य राशियां बैंक को जमा कराने में असमर्थ होने पर प्रार्थी बैंक (वित्तीय संस्था) के पक्ष में प्रतिभूति स्वरूप बंधक/रहन की गई भूमियां अनुसूची-1 में वर्णित श्री देवेन्द्र कुमावत पुत्र श्री हिरालाल कुमावत एवं श्रीमती संध्या कुमावत पत्नी श्री देवेन्द्र कुमावत के नाम साम्यिक बंधक आवासीय मकान जो मानदास मंदिर के सामने पिपली चौक सालमपुरा रोड प्रतापगढ़ पर स्थित है जिसका क्षेत्रफल 1077.75 वर्गफीट है नगरपरिषद प्रतापगढ़ राजस्थान द्वारा जारी पट्टा संख्या 111 दिनांक 07.01.2013 जिसकी सीमाएं उत्तर में गली, दक्षिण में रोड़, पूर्व में अम्बालाल कुमावत का मकान तथा पश्चिम में बद्रीलाल शर्मा का मकान स्थित है, को धरोहर स्वरूप बंधक/रहन भूमि सम्पत्तियों का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी बैंक (वित्तीय संस्था) को जरिये जिला पुलिस अधीक्षक के संबंधित पुलिस थाना स्तर से पुलिस इमदाद कब्जा प्राप्त किये जाने का आदेश पारित किया जाता है।

आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक (वित्तीय संस्था), अप्रार्थी/ऋणी एवं जिला पुलिस अधीक्षक तथा संबंधित थानाधिकारी का हस्ब कायदा जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हों।

आदेश आज दिनांक :-28.02.2022 को सरे ईजलास सुनाया जाकर लिपिबद्ध किया गया।




(प्रकाश चन्द्र शर्मा)

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
प्रतापगढ़

1. जिला पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़
2. प्राधिकृत अधिकारी स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा प्रतापगढ़
3. मैसर्स विजय कन्सट्रक्शन जरिये प्रो. श्री देवेन्द्र कुमावत पुत्र श्री हीरालाल कुमावत, पीपली चौक, सालमपुरा रोड, प्रतापगढ़।